रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6, 1991 (आषाढ़ 15, 1913)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1991 (ASADHA 15, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	637
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	805
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	6
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1017
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	635
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	735
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2397
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	67
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*[illegible] हुआ नहीं।

1-131 GI/91

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	537
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	805
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1017
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	635
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	735
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2397
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	87
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Publication not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

(इलेक्ट्रानिकी विभाग)

नई दिल्ली–110003, दिनांक 30 मई 1991

संकल्प

सं० 25(12)/90–एस० टी० ए०—भारत सरकार ने इलेक्ट्रानिकी विभाग (भारत सरकार) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है जिसे "भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" के नाम से जाना जाएगा।

2. इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. संस्था के मुख्य-मुख्य उद्देश्य नीचे दिए अनुसार हैं :—

(1) निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करना :—

(क) इन पार्कों में मूल संरचनात्मक साधन स्रोतों की स्थापना तथा प्रबंध करना जैसेकि संचार सुविधाएं, मुख्य कम्प्यूटर, भवन की सुविधाएं आदि तथा आंकड़ा-नेटवर्क सम्पर्क के जरिए सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए प्रयोगकर्ताओं को (जो निर्यात के प्रयोजनों के लिए सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य करते हैं) आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।

(ख) सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात और सॉफ्टवेयर सेवाओं से संबंधित कार्य को बढ़ावा देना।

(ग) निर्यात संवर्धन से संबंधित कार्य करना जैसेकि प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन, बाजार का विश्लेषण, बाजारों का आवंटन आदि।

(घ) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देना तथा/अथवा उन्हें इस दिशा में उन्मुख करना।

(ङ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरी के क्षेत्र में डिजाइन और विकास के कार्य करना और उसे बढ़ावा देना।

(2) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा पहले स्थापित सभी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का, संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 में विनिर्दिष्ट औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के बाद इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जब भी निर्णय लिया जाए इस संस्था अर्थात् भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के अंतर्गत अधिग्रहण करना।

4. इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रभारी मंत्री भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली के "विजिटर" होंगे।

5. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली का प्रबंध इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अन्तर्नियमावली, नियमों तथा विनियमों के अनुसार अधिशासी परिषद् तथा स्थायी कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अधिशासी परिषद् तथा स्थायी कार्यकारी बोर्ड का गठन नीचे दिए अनुसार होगा :—

I. अधिशासी परिषद्

1. सचिव इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार	अध्यक्ष
2. दूर संचार विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
3. राजस्व विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4. वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
5. गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
6. वित्तीय सलाहकार इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
7. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित दो अधिकारी	सदस्य
8. सॉफ्टवेयर विकास प्रभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार के प्रभाग प्रमुख	सदस्य
9. कार्यकारी निदेशक इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य
10. महानिदेशक, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	सदस्य-सचिव

II. स्थायी कार्यकारी बोर्ड

1. महानिदेशक	अध्यक्ष
2. सॉफ्टवेयर विकास प्रभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार, इलैक्ट्रानिकी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4. राज्य सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
5. प्रयोगकर्ता उद्योग के प्रतिनिधि	सदस्य
6. संबंधित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के निदेशक	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संबंधित संगठनों आदि को प्रेषित की जाए।

अमित किरण देव
संयुक्त सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली 1, दिनांक 3 जून 1991

संकल्प

सं० फा० 8(1)91—हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय ने "संसदीय लोकतन्त्र" में संबंधित विषयों पर एक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता आयोजित करने का निश्चय किया है। इस योजना का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम "संसदीय लोकतन्त्र" पर अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता होगा।

2. योजना का उद्देश्य :

संसदीय लोकतन्त्र में जनता की अभिरुचि को जागृत करने तथा उस पर हिन्दी लेखन को प्रोत्साहन देना है।

3. प्रतियोगिता का क्षेत्र :

(क) प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी परन्तु इसे दो क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है :—

क्षेत्र—1 उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और दिल्ली, चंडीगढ़ तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र—2 अरुणाचल प्रदेश, असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल गोआ, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम राज्य और लक्षद्वीप और दीव, दादरा और नागर हवेली, पांडिचेरी, संघशासित संघ राज्य क्षेत्र।

(ख) दोनों क्षेत्रों के लिए प्रतियोगिताएं अलग-अलग आयोजित की जाएंगी तथा उनके पुरस्कार भी अलग-अलग ही होंगे।

4. पुरस्कार की राशि

योजना के दोनों क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार पृथक-पृथक दिए जाएंगे :—

(क) प्रथम पुरस्कार (दो) रु० 1000 (एक हजार रुपये प्रत्येक)

(ख) द्वितीय पुरस्कार (तीन) रु० 750 (सात सौ पचास रुपये प्रत्येक)

(ग) तृतीय पुरस्कार (पांच) रु० 500 (पांच सौ रुपये प्रत्येक)

5. पात्रता

(क) सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकेंगे।

(ख) प्रतियोगी स्नातक या उसके समकक्ष या उससे अधिक उपाधि प्राप्त होना चाहिए।

(ग) प्रतियोगी उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा है।

6. विषय :

प्रतियोगिता का विषय "संसद और राष्ट्रीय एकता" होगा।

7. सामान्य शर्तें :

(क) लेखकों से यह अपेक्षित होगा कि वह लेख की 3 प्रतियां भेजें।

(ख) प्रतियोगिता के लिए लेख को, प्रतियोगी द्वारा स्वयं लिखा जाना चाहिए। इस आशय की घोषणा लेख के साथ संलग्न होनी चाहिए।

(ग) लेख किसी पुस्तक से उद्धृत अथवा संपुकृत नहीं किया गया होना चाहिए।

(घ) लेख किसी अन्य भाषा में पूर्व प्रकाशित लेख का हिन्दी अनुवाद नहीं होना चाहिए।

(ङ) पुरस्कृत लेख पर मंत्रालय का यह अधिकार होगा कि वह उसे किसी रूप में प्रकाशित अथवा उद्धृत कर सकेगा।

(च) प्रस्तुत लेख को किसी अन्य योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त नहीं होना चाहिए।

(छ) संसदीय कार्य मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्त करने वालों के चयन की प्रक्रिया को विनियमित करने का अनन्य अधिकार होगा।

(ज) संसदीय कार्य मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अनन्य अधिकार होगा।

(झ) लेख निर्धारित तारीख तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

(ञ) लेख के साथ योग्यता-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिएं। ऐसा न करने पर लेख को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। निर्धारित शैक्षिक योग्यता में कोई शिथिलता नहीं की जाएगी।

8. लेख की सीमा

लेख कम से कम 3000 शब्दों का और अधिकतम 5000 शब्दों का होना चाहिए।

9. मूल्यांकन समिति

(क) पुरस्कार प्रदान किए जाने के बारे में निर्णय एक मूल्यांकन समिति द्वारा लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ख) मूल्यांकन के लिए 5 सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जिसके पदेन अध्यक्ष सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय होंगे। समिति के तीन सदस्य बाहर के व्यक्ति होंगे।

(ग) मूल्यांकन की पूर्ण प्रक्रिया का निर्धारण संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(घ) यदि उपयुक्त स्तर के लेख प्राप्त नहीं होते हैं अथवा/और लेख औचित्यपूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं, उस अवस्था में मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि प्रतियोगिता को उसी चरण पर समाप्त कर दे।

(ङ) मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों/विशेषज्ञों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा निर्धारित मानदेय और इस संबंध में की गयी यात्राओं के लिए नियमानुसार अनुमेय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

10. विविध :

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रमुख हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रतियोगियों से लेख आमंत्रित करेगा।

(ख) केवल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को ही मूल्यांकन समिति के निर्णय की सूचना मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

(ग) पुरस्कारों का वितरण संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेषतौर पर आयोजित एक समारोह में किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को आने-जाने का दूसरे दर्जे का रेल का किराया दिया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

देवराज तिवारी
उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1991

सं० 9/5/91-के०से० (ii)—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1991 में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना), केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश 1950 संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (भाग राज्य क्षेत्र), आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन), आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा, संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन ऐक्ट 1990 और संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संशोधन) अध्यादेश, 1991।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का कार्य संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

जिस तारीख को और जिन जिन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, उसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय, लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 अगस्त, 1991 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) 1 अगस्त, 1991 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी : (1) स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी : (2) अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी : (3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना से अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा; अथवा

टिप्पणी : (4) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से भिन्न संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों उन्हें, अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा। तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में भिन्न संवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों, और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों।

(2) आयु

(क) यदि वह पैरा 1 में वर्णित किन्हीं भी सेवाओं में स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1-8-1991 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1941 से पूर्व नहीं हुआ हो :

(ख) ऊपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(v) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(vi) 1971 में हुए भारत–पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(vii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों।

( ) टंकण परीक्षा —यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षणशाला, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध) अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5 परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये, किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी कार्य द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसेक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये :—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8 यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने में कोई कोशिश करेगा या आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जायेगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य करार दिया जाएगा।

9 आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम में से उनके नामों की एक अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकते, आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा से योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी — उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जायें उसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात पर कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया जाए।

10 इस उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संघ की प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाएं कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

12. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में स्थायी अधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका है।

करतार सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1—नीचे परिच्छेद में बताये गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा वृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और उसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय	अधिकतम अंक	समय
प्रश्न पत्र—I : (वस्तुनिष्ठ प्रकार) (क) सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न (ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता 100 प्रश्न	200 अंक	2 घंटे
प्रश्न-पत्र—II : टिप्पण आलेखन तथा कार्यालय पद्धति	100 अंक	2 घंटे

प्रश्न पत्र—I वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार का होगा जबकि प्रश्न-पत्र-II वर्णात्मक प्रकार का होगा।

टिप्पणी :—निम्नलिखित तीनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, आलेखन तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग,

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, और

(3) निर्वाचन आयोग।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा :—

टिप्पणी—1 :—उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र II, टिप्पण, आलेखन तथा कार्यालय पद्धति के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प दिया जाता है।

टिप्पणी—2 :—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी—3 :—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहता है उन्हें यह बात आवेदन-पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देनी चाहिए। अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी—4 :—एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और आवेदन-पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 5 : प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे।

टिप्पणी 6 : उम्मीदवारों द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे प्रश्न पत्र II के उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथों से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

6. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

प्रश्न-पत्र I (क) सामान्य जानकारी : प्रश्न उम्मीदवार के आस-पास के पर्यावरण के प्रति उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति उसके अनुप्रयोग के संबंध में उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने के लिए पूछे जाएंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के ऐसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में भी ज्ञान की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनकी जानकारी की अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से सम्बन्ध में विशेष कर इतिहास, संस्कृति भूगोल, आर्थिक, दृश्य सामान्य राज्य व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता इस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्य पूरे करना, वाक्यांश तथा शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि के संबंध में उम्मीदवार के विवेक तथा ज्ञान को भांकने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। इसमें अनुच्छेद परिज्ञान पर भी भी प्रश्न होंगे।—

प्रश्न पत्र—II टिप्पणी व आलेखन तथा कार्यालय पद्धति इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति, संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की हस्तपुस्तिका और इस प्रयोजन के लिए राजभाषा के प्रयोग से संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

भारत के निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे कार्यालय पद्धति की नियम (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां तथा संघ के शासकीय, प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंध गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग

(अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 30 मई, 1991

आदेश

सं० 1–8/89–आर० टी०—जबकि भारत सरकार ने दिनांक 22–6–1990 के संकल्प संख्या 1–8/89–आर० टी० के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् को स्वायत्तशासी संस्थान का दर्जा देने का निश्चय किया है।

जबकि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसायटी, जिसे इसके पश्चात् सोसायटी कहा जाएगा, का गठन और उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सहायक

पंजीयक सोसायटी, फर्म और चिट उत्तर प्रदेश सरकार, देहरादून की पंजीकरण संख्या 596/1990-91 दिनांक 12-3-91 द्वारा पंजीकरण किया गया।

अब, इसलिए भारत सरकार 1 जून, 1991 से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून के कार्यालयों तथा इसके निम्नलिखित अनुसंधान संस्थानों को एतद्द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् सोसायटी को स्थानान्तरित करती है :—

1. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून,
2. वन आनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर
3. काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान, बंगलौर
4. पतझड़ी वन संस्थान, जबलपुर
5. शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
6. वर्षा और आर्द्र पतझड़ी वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट

महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् और परिषद् को सोसायटी को सौंपे जाने के एकदम पहले और उसके अधीन किसी भी कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, लेकिन उसी अवधि और उन्हीं सेवा शर्तों जैसे पारश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति का अन्य अन्तिम लाभों के मामले में जो उसने ऐसे कार्यालयों से लिए हैं, यदि सोसायटी गठित नहीं की गई होती और लगातार जब तक सोसायटी ऐसे कर्मचारी को नियमित सेवा में समाहित नहीं करती है, तो वह उसी रूप से कार्य करता रहेगा।

शर्त यह है कि सोसायटी के ऐसे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सोसायटी प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के मामले में केन्द्र सरकार को उसकी छुट्टी, वेतन, पेंशन और उपदान के लिए ऐसा अंशदान जैसा कि केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करे, भुगतान करेगी।

आगे यह भी शर्त है कि ऐसा कोई कर्मचारी जिसने सोसायटी की नियमित सेवा में समाहित होने के प्रस्ताव के बारे में सोसायटी द्वारा नियत समय में इस सोसायटी में नियमित कर्मचारी बनने की सहमति नहीं दी है तो सोसायटी द्वारा उसे समाहित नहीं किया जाएगा।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून, से वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् सोसायटी, देहरादून की परिसम्पत्तियों और देयताओं के स्थानान्तरण से संबंधित आदेशों को अलग से जारी किया जाएगा। इस संबंध में आदेशों के जारी होने तक सोसायटी उपर्युक्त अधीनस्थ कार्यालयों की सभी या कुछ परिसम्पत्तियों के प्रयोग की हकदार होगी।

अरुण क्षेत्रपाल,
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1991

संकल्प

सं० एफ० 30-13/89-यू०-3—भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली जो एक पंजीकृत सोसायटी है की स्थापना मार्च, 1972 में की गई थी। इसका उद्देश्य इतिहासकारों को एक साथ लाना और उनके बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच सुलभ कराना और उद्देश्यपरक राष्ट्रीय निर्देश देने तथा इतिहास की राष्ट्रीय प्रस्तुति और व्याख्या करना तथा समय-समय पर इसके पास भेजे जाने वाले इतिहास पद्धति विज्ञान में ऐतिहासिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना था। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, नियमावली, 1972 के नियम 3 के अन्तर्गत एतद्द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को, पुनर्गठित परिषद् की पहली बैठक की तिथि से निम्नलिखित व्यक्तियों सहित पुनर्गठित करने का संकल्प पारित किया जाता है।

1. अध्यक्ष

I. प्रोफेसर इरफान हबीब,
अध्यक्ष
उच्च अध्ययन केन्द्र,
इतिहास विभाग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

प्रोफेसर इरफान हबीब को 12 मार्च, 1990 को तीन वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया

II. भारत सरकार द्वारा मनोनीत अठारह इतिहासकार

2. प्रोफेसर रोमिला थापर
ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

3. डा० बी० एन० मिश्रा
निदेशक (स्थानापन्न)
डक्कन कालेज, पुणे

4. डा० एम० एस० नागराज राव,
पूर्व महानिदेशक;
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
मैसूर

5. डा० के० वी० रमेश,
प्रमुख पुरालेखशास्त्री
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
मैसूर

6. प्रो० जी० सी० पाण्डेय,
पूर्व कुलपति,
राजस्थान विश्वविद्यालय

7. प्रो० क्यूमुद्दीन अहमद
इतिहास विभाग,
पटना विश्वविद्यालय

8. प्रो० जे० एस० ग्रेवाल
निदेशक,
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान,
शिमला

9. प्रो० एच० एम० श्रीवास्तव
17,एच० आई० जी०
आवास विकास कालोनी,
गोरखपुर—273001

10. प्रो० ए० क्यू० रफीकी
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग
कश्मीर विश्वविद्यालय

11. प्रो० वाई० सुब्बारायलु
पुरालेख शास्त्र विभाग,
तमिल विश्वविद्यालय,
तन्जावूर, तमिलनाडु

12. प्रो० अभिया कुमार दासगुप्ती
निदेशक,
सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र,
10, लेक टैरेस, कलकत्ता

13. प्रो० जयन्त भूषण भट्टाचार्य
इतिहास विभाग,
उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग

14. प्रो० डी० आर० धमगरे,
सदस्य सचिव,
भारतीय सामाजिक विज्ञान
अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली

15. प्रो० पंचानन्द मिश्रा,
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर

16. प्रो० बी० रामाकृष्णन
हैदराबाद विश्वविद्यालय,
हैदराबाद

17. डा० कपिला वात्स्यायन
सदस्य-सचिव,
इन्दिरागांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र,
नई दिल्ली

18. प्रो० बी० एन० गोस्वामी,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़

19. श्री प्रोमेश आचार्य,
एस० 5—9, कुणालिया रोड,
हाउसिंग एस्टेट
कलकत्ता—700039

iii) 20. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि

iv. 21. महानिदेशक (पुरातत्व) पदेन
v. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
vi. नई दिल्ली ।

22. निदेशक, पदेन
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली-110001

VI. भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार व्यक्ति

23. सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
अथवा उसका प्रतिनिधि

24. सचिव,
संस्कृति विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
अथवा उसका प्रतिनिधि

25 वित्तीय सलाहकार,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

26. महा निदेशक,
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण,
ब्लाक संख्या 2,
विंग संख्या 6,
रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली

vii. प्रो० एस० जी० एस० नारायण, भारतीय ऐतिहासिक अनु-
27 सदस्य सचिव संधान परिषद् के कार्यालय
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान आदेश सं० 759 दिनांक
परिषद्, 6—10—90 द्वारा 12
35, फिरोजशाह रोड, अक्तूबर, 1990 को तीन
नई दिल्ली । वर्ष की अवधि के लिए
सदस्य-सचिव के रूप में
नियुक्त किया गया था ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सदस्य-सचिव भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली 110001 को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० पी० मांकड़
संयुक्त सचिव

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 1991

सं० आर० टी०–20016/2/89–टी—दिनांक 16–10–90 के समसंख्यक संकल्प में मामूली संशोधन करते हुए अध्यक्ष, ई० डी० ए० एस० आर० टी० यू० श्री के० बी० रामी रेड्डी को, दिनांक 16–10–90 के पिछले संकल्प के पैरा 5 से 7 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, सदस्यों के ग्रुप में शामिल करते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति फॉरवर्ड लुकिंग ग्रुप के सभी सदस्यों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी० के० पिल्लै,
संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 30th May 1991

RESOLUTION

No. 25(1)/90-SDA.—1. It has been decided by the Government of India to set up a Society to be known as "Software Technology Parks of India" under the administrative control of the Department of Electronics, Government of India

2. The registered office of the Society shall be at New Delhi

3. *The objectives of the Society shall be* :—

(1) To establish Software Technology Parks at various locations in the country to achieve the following objectives :

(a) To establish and manage the infrastructural resources such as communication facilities, core computers, building amenities etc., in these Parks and to provide services to the users (who undertake software development of export purposes) for development and export of software through data links

(b) To Promote development and export of software and software services

(c) To undertake export promotion activities such as technology assessments, market analysis, market segmentation etc.

(d) To train and/or orient professionals in the field of software technology.

(e) *To encourage design and development* in the field of computer software and software engineering.

(2) To take over all the STPs set up earlier by the Deptt. of Electronics under this Society—STPI after following all the necessary formalities as stipulated by the Societies Registration Act, 1860, as and when decided by the Department of Electronics, Government of India to do so.

4. The Minister incharge of Department of Electronics shall be the VISITOR of the Software Technology Parks of India, New Delhi

5. The Software Technology Parks of India, New Delhi will be managed by the Governing Council and the Standing Executive Board, in accordance with the Memorandum of Association, the Rules & Regulations as approved by the Department of Electronics, Government of India. The compositions of the Governing Council and the Standing Executive Board are as follows :

I. GOVERNING COUNCIL

Chairman

(1) Secretary, Deptt. of Electronics, Govt. of India.

Members

(2) Rep. of Deptt. of Telecommunication

(3) Rep. of Deptt. of Revenue.

(4) Representative of Ministry of Commerce, Govt. of India.

(5) Rep. of Ministry of Home Affairs.

(6) Financial Adviser, DOE, Govt. of India or his representative.

(7) Two Nominees of Secretary, Deptt. of Electronics, Govt of India.

(8) Head of Software Development Division, Deptt. of Electronics, Govt. of India

(9) Executive Director, Electronics & *Computer Software Export Promotion* Council.

Member-Secretary

(10) Director General, Software Technology Parks of India

II. STANDING EXECUTIVE BOARD

Chairman

(1) Director General

Members

(2) Rep. of Software Development Divn., DOE

(3) Rep. of Financial Adviser, DOE.

(4) Rep of the State Government

(5) Rep. of User Industry.

Member-Secretary

(6) *Director of concerned* Software Technology Park.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India. Ordered also that copy of the resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned

A. K. DEB, Jt. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 3rd June 1991

RESOLUTION

No. F. 8(1)/91-Hindi.—The Ministry of Parliamentary Affairs have decided to organise an All India Hindi Essay Competition on the subjects relating to "Parliamentary Democracy". The main features of the scheme are as under :—

1. *Name of the Scheme*

Name of the scheme will be All India Hindi Essay Competition on "Parliamentary Democracy".

2. *Objects of the Scheme*

To arouse the interest of public in Parliamentary Democracy and to encourage writing on the subject in Hindi.

3. *Area of Competition*

(a) Competition will be organised at All India Level but it has been divided into two Zones —

Zone-I States of Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, Bihar Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradsh and Union Territories of Delhi, Chandigarh, and Andaman & Nicobar Islands

Zone-II States of Arunachal Pradesh, Assam, Andhra Pradesh, Orissa, Karnataka, Kerala, Goa, Jammu & Kashmir, Tamil Nadu, Tripura, Nagaland, West Bengal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim and Union Territories of Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Pondicherry, Lakshadweep.

(b) Separate Competition will be organised for each zone and their prizes will also be separate

4 *Amount of the Prizes*

(a) The seprate prizes to be given under the scheme for both Zones will be as under :—

(i) First Prize (Two)—Rs. 1000 (Rupees one thousand each).

(ii) Second Prize (Three)—Rs 750 (Rupees seven hundred and Fifty each)

(iii) Third Prize (Five)—Rs. 500 (Rupees five hundred each)

5. *Eligibility*

(a) Every Indian citizen can participate in the competition.

(b) Participant should be a Graduate or possessing an equivalent or higher degree.

(c) Participant should be the resident of that zone from which he is participating.

6 *Subject*

Subject of the Competition will be "Parliament and National Solidarity".

7. *General Terms and conditions*

(a) It is obligatory for the writer to send three copies of the Essay.

(b) The Essay should be written by the participant himself. Declaration to this effect should be appended with the Essay.

(c) Essay should not be an extract from or abridged of a book.

(d) Essay should not be the Hindi translation of an article already published in any other language.

(e) Ministry of Parliamentary Affairs shall have the right to publish or to quote from the awarded Essay.

(f) The Essay should not have been awarded under any other scheme

(g) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have exclusive right to regulate the procedure for selection of the receipient of the awards.

(h) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have exclusive right to modify the scheme

(i) Essay will be accepted upto the specified date only.

(j) Attested copies of the testimonial should also be appended with the Essay. Failing which Essay will not be included in the competition. No relaxation will be given in laid down educational qualification.

8. *Limit*

Essay should be limited to minimum of 3000 words and to maximum of 5000 words.

9. *Evaluation Committee*

(a) The decision regarding prizes will be taken by an Evaluation Committee. No correspondence will be entertained in this regard.

(b) Evaluation Committee of 5 Members shall be constituted. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs shall be Ex-officio Chairman of the Evaluation Committee Three Members of the Committee will be from outside.

(c) Whole procedure reg. evaluation will be laid down by the Ministry of Parliamentary Affairs.

(d) In case where Essays received are not of an appropriate level or/and number of Essays so received is not reasonable one, then the Ministry shall have the right to discontinue the competition at that very stage

(e) All Members/Experts including Chairman, will be paid Honorarium as laid down for the work of evaluation and T.A./D.A. as admissible under the rules, for the journeys undertaken in connection with evaluation work

10 *Miscellaneous*

(a) Ministry of Parliamentary Affairs will invite Essays by advertising in leading Hindi and English Newspapers.

(b) Ministry will inform the decision of Evaluation Committee to the prize winning participants only.

(c) The prizes will be awarded at a special function organised by the Ministry of Parliamentary Affairs. Prize Winner's will be given to and from second class Rail Fare

ORDER

It is ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and all Ministries/Departments of the Government of India. It is also further ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

D. R. TIWARI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 6th July 1991

RULES

No. 9/5/91-CS. II.—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.) Central Vigilance Commission and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in 1991 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Govt.

from time to time in this regard. Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes), Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribe Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, the Constitution Jammu & Kashmir (Scheduled Tribes) Order, 1989, the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990 and the Constitution (Scheduled Tribes) order (Amendment) Ordinance, 1991.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or Central Vigilance Commission or the Election Commission of India who on the 1st August 1991 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) *Length of Service.*

He should have on the 1st August, 1991 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or in the Central Vigilance Commission or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission on the result of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination the result of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade.

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date and should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade.

Note (1) The Limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Sectt Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission.

Note (2) The Limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Note (3) Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism (Headquarters Estt.) or of Central Vigilance Commission who joined the Armed Forces during the period of operation of proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service

Note (4) Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible, to be admitted to the examinations, if otherwise eligible. This however does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Services on transfer and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or the Department of Tourism (Headquarter Estt.) or the Central Vigilance Commission.

2. (Age)

(a) He should not be more than 50 years of age as on 1st August, 1991 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1941, if he is permanent or regularly appointed Lower Division Clerk or any of the Services mentioned in para 1 above

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona-fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iii) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian Origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(v) upto a maximum of eight years in the case of *Defence Services Personnel disabled in operations* during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe;

(vi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(vii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) Typewriting Test Unless exempted from passing the monthly/quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing)/Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) Impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period,

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them; and or

(ii) by the Central Government from any employment under them.

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in five separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number :

Provided that the candidate belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the SCs and STs cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination

NOTE—Candidates should clearly understand that this is a Competitive and not a qualifying examination The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely, within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in his examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter in to correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Training

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Deptt. of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission or otherwise quits the Service or severs his connection with it or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on transfer and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

KARTAR SINGH, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

PART I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

PART II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subject	Maximum marks	Time
Paper-I (Objective Type)		
(a) General Awareness 100 Questions (b) Comprehension and writing ability of English language 100 Questions	200 marks	2 hours
Paper II		
Noting, Drafting & Office Procedure	100 marks	2 hours

Paper I—Will be 'Objective-Multiple-Choice-Type' where the paper-II will be of Descriptive type

Note—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office procedure for candidates belonging to the three categories, viz.

(i) C.S.C.S., Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission

(ii) R. B. S. C. S

(iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below

Note 1.—Candidates are allowed the option to answer the Paper-II Noting, Drafting & Office Procedure either in English or Hindi.

Note 2.- The option will be for a complete paper and not for different questions in the same papers

Note 3.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form, otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

Note 4.- The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

Note 5.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

Note 6.- No credit for papers II will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate

4. Candidate must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answer for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of Examination

Papers I (a)—General Awareness: Questions will be aimed at testing the candidates general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to History, culture, geography, economic scene, general polity and scientific research.

(b) Comprehension and writing ability of English Language. Questions will be designed to test the candidate's understanding and knowledge of English language, vocabulary spellings, grammar sentence structure, synonyms antonyms, sentence completion, phrases and idiomatic use of words etc. There will be a question on comprehension of a passage.

Paper II - Noting and Drafting and Office Procedure :— The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission are required to study the manual of Office Procedure, Notes on Office Procedures issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rule of Procedures and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Services are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE)

(RESEARCH & TRAINING DIVISION)

New Delhi-110003, the 30th May 1991

ORDER

No. 1-8/89-RT.—Whereas Government of India have decided to constitute the Indian Council of Forestry Research and Education, a subordinate office of the Ministry of Environment and Forests into an autonomous Institution vide Resolution No. 1-8/89-RT dated 22-6-1990 and;

Whereas the Indian Council of Forestry Research and Education Society, hereinafter called the society, has been constituted and registered as such under the Societies Registration Act, 1860 vide Registration No. 596/1990-91 dated 12-3-1991 of the Assistant Registrar Societies, Firms and Chits, Government of U.P. Dehra Dun;

Now, therefore Government of India hereby transfers w.e.f. June 1, 1991 the Offices of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehra Dun, together with its research Institutions set out below :—

(1) Forest Research Institute, Dehra Dun.

(2) Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore.

(3) Institute of Wood Science and Technology, Bangalore.

(4) Institute of Deciduous Forests, Jabalpur

(5) Institute of Arid Zone Forestry Research, Jodhpur.

(6) Institute of Rain & Moist Deciduous Forest Research, Jorhat,

to the Indian Council of Forestry Research and Education Society.

The Director General of Indian Council of Forestry Research and Education, and every employee holding any office under him immediately before the handing over of the Council to the Society, shall be treated as on deputation with the Society but shall hold his office in the Society by the same tenure and upon the same terms and conditions of service as respects remuneration, leave, provident fund, retirement or other terminal benefits as he would have held such office, if the Society had not been constituted and shall continue to do so until the Society duly absorbs such employee in its regular service

Provided that during the period of deputation of any such employee with the Society, the Society shall pay to the Central Government in respect of every such employee, such contribution towards his leave salary, pension and gratuity as a Central Government may by order determine;

Provided further that any such employee who has in respect of the proposal of the society to absorb him in his regular service intimated within such time as may be specified in this behalf by the Society, his intention of not becoming a regular employee of the Society, shall not be absorbed by the Society.

Orders regarding transfer of assets and liabilities of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehra Dun to the Indian Council of Forestry Research and Education Society, Dehra Dun would issue separately. Pending issue of the orders in this behalf, the Society would be entitled to the use of the assets in use at any or all of the subordinate offices afore-mentioned.

ARUN KSHETRAPAL, Jt Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 15th May 1991

RESOLUTION

No. F. 30-13/89-U 3.—The Indian Council of Historical Research, New Delhi, a registered Society, was established in March, 1972 with a view to bringing historians together and providing a forum for exchange of views between them, and to give a national direction to an objective and national presentation and interpretation of history and also to advise the Government of India on all such matters pertaining to historical Research and training in history methodology as may be referred to it from time to time. It is hereby resolved to reconstitute the Indian Council of Historical Research under Rule 3 of the "Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1972" with the following members from the date of the first meeting of the reconstituted Council :—

I. *Chairman*

1. Prof. Irfan Habib,
Chairman,
Centre of Advanced Study,
Department of History,
Aligarh Muslim University,
Aligarh.

Prof Irfan Habib re-apointed as Chairman on 12th March, 1990, for a period of three years.

II. *Eighteen historians nominated by the Government of India*

2. Professor Romila Thapar,
Centre for Historical Studies,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi.

3. Dr. VN Mishra,
Director (Officiating),
Deccan College, Pune

4. Dr. MS Nagarajarao,
Former Director General,
ASI. Mysore.

5. Dr KV Ramesh,
Chief Epigraphist,
ASI. Mysore.

6. Professor GC Pande,
formerly Vice Chancellor,
University of Rajasthan

7. Professor Qayamuddin Ahmed,
Department of History,
Patna University.

8. Professor JS Grewal,
Director,
Indian Institute of
Advanced Study,
Shimla.

9. Professor H. S. Shrivastava,
17, HIG,
Awana Vikas Colony,
Gorakhpur-273001

10. Professor AQ Rafiqui,
Head, Department of History,
Kashmir University.

11. Professor Y Subarayalu,
Department of Epigraphy,
Tamil University,
Thanjavur, Tamil Nadu.

12. Professor Amiya Kumar Bagchi,
Director,
Centre for Studies in
Social Sciences,
10, Lake Terrace, Calcutta.

13. Professor Jayanta Bhushan Bhattacharjee,
Department of History,
North Eeastern Hill University,
Shillong.

14. Professor D.R. Dhanagare,
Member-Secretary,
Indian Council of Social Sciences Research,
New Delhi

15. Professor Panchanand Mishra,
Head, Department of History,
University of Bhagalpur,
Bhagalpur

16. Professor V. Ramakrishna,
Hyderabad University,
Hyderabad.

17. Dr. Kapil Vatsyayan,
Member-Secretary,
Indira Gandhi National,
Centre of Arts,
New Delhi.

18. Professor BN Goswamy,
Panjab University,
Chandigarh

19. Shri Poromesh Acharya,
19-9, Kushtiya Road,
Housing Estate,
Calcutta-700 039

III 20. Representive of the University Grants Commission.

IV. 21. Director General of Archaeology, —Ex-Officio
Archaeological Survey of India,
New Delhi.

V 22. Director, National Archives, —Ex-Officio

National Archives of India,
New Delhi-110001.

VI. *Four persons to represent Govt. of India*

23. Secretary,
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development
or his/her representative.

24. Secretary,
Department of Culture,
Ministry of Human Resource Development
or his/her representative

25. Financial Adviser,
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

26. Director General,
Anthropological Survey of India,
West Block 2, Wing No. 6,
R. K Puram, New Delhi.

VII. 27.	Professor M. G. S. Narayanan, Member-Secretary, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi.	Was appointed as Member-Secretary on 12th Oct. 1990 for a term of three years vide ICHR Office Order No. 759 dated 5-10-90.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Member-Secretary, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. G. MANKAD, Jt. Secy.

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 16th May 1991

RESOLUTION

No. RT-20016/2/89-T.—In slight modification of Resolution of even number dated 16-10-90, the Chairman is pleased to include ED, ASRTU, Shri K V. Rami Reddy among the members of the Group subject to the terms and conditions mentioned in para 5 to 7 of earlier Resolution dated 16-10-90.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all members of the Forward Looking Group and Ministry of Science & Technology.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991